

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.**

अलप्कालीन निविदा सूचना संख्या— 53 / 2016

फोन नं०— 2223727
फैक्स नं०—2224529

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना ।				
2.	निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	29-08-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक ।				
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	31-08-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक ।				
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	31-08-2016 को 15.30 बजे अपराह्न से ।				
5.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा ।				
6.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	(क)	पुलिस निगम, मुख्यालय ।			
			(ख)	पुलिस महानिदेशक—सह—पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।			
			(ग)	निविदा सम्बन्धित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी ।			
7.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1. (क)	रु0 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी ।			
			(ख)	रु0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक—सह—पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।			
8.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।						
9.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:					
क्रमांक	कार्य का नाम		प्राककलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में ।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु0 में	कार्य समाप्ति की अवधि	
1.	खगड़िया जिलान्तर्गत चौथंम थाना में 4 अपर सबौर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण कार्य		2.67	5400	750	2 माह	सामान्य
2.	दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक आवास में स्थित गोपनीय कार्यालय, बैरक, शौचालय एवं गार्डन लाइट के विद्युतिकरण का मरम्मति कार्य		5.06	10200	1250	2 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
3.	सिवान जिलान्तर्गत सिवान मंडल कारा में किचेन, कैण्टीन एवं सर्वर रूम का मरम्मतिकार्य		5.34	10700	1250	2 माह	सामान्य
4.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर थाना में ग्रेड-III थाना भवन में विद्युतिकरण कार्य		3.27	6600	750	1 माह	पिछड़ा वर्ग
5.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी पुलिस लाईन कार्यालय परिसर में एक सेट (ब्लौक-1 से 4 तक) क्वार्टर में विद्युतिकरण का विशेष मरम्मति कार्य		2.72	5500	750	2 माह	सामान्य
6.	लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय पुलिस अधीक्षक आवास का विशेष मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)		2.07	4200	500	2 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
7.	वैशाली जिलान्तर्गत देसरी थाना में 20 सिपाहीयों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य		1.79	3600	500	2 माह	अनुसूचित जाति
8.	मधुवनी जिलान्तर्गत वेनीपट्टी में अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन में विद्युतिकरण कार्य		4.64	9300	750	2 माह	सामान्य
9.	दरभंगा जिलान्तर्गत विरौल अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन में विद्युतिकरण कार्य		4.64	9300	750	2 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
10.	पटना जिलान्तर्गत पालीगंज थाना में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के आवास में विद्युतिकरण कार्य		0.99	2000	500	2 माह	सामान्य

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
11. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवादादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निवादादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जायेगा ।
12. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
13. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम) / बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास-पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, दिनांक-31-08-2016 तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
14. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :—आयकर पैन नं. बिक्रीकर निबंधन उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
15. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
16. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
17. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्टि का सीमेंट एवं स्टील संवेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112-1989, आई०एस० 455-1989 छड़ बी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ० 9001/9002, आई०एस०ओ० 14001-1996 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
18. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी ।
19. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
20. कार्य की प्राककलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण-विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
21. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दरतावेज में देखी जा सकती है ।
- 22(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राककलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कौटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 22(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा—सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकरण, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरानामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
23. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरानामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरानामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरानामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
24. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईरेंस होना अनिवार्य होगा । विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
25. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
26. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक-29-08-2016 तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह- प्रबन्ध निदेशक, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतेय हो ।
27. सभी गैर-अनुसूचित मदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायेगी ।
28. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
29. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपरिथित रहेंगे एवं यथा निविदित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे ।
30. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
31. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

32. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत रथानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा ₹० २५.०० लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
33. नियमानुसार अंकित क्रमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रामाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हे हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा।

17-8-2016 मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्य० CE 212 (D)

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल - पटना, मुजफ्फरपुर, कैम्प-हाजारपुर, भागलपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

17-08-2016

17-8-2016 मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्य० CE 213 (A)

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / कार्यपालक अभियंता-मोनिटरिंग, पूर्णियाँ, मगध-कैम्प-डेहरी, राजगीर, / स्थायक प्रावैधिक सचिव/निरुपण-1/2 / सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17-08-2016

17-8-2016 मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्य० CE 213 (D)

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, दरभंगा, समरतीपुर, सिवान, मोतिहारी, लालीसगढ़, वशाली एवं मधुवनी को सूचनार्थ।

17-08-2016

17-8-2016 मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।